

तार्फ़ का पता: "मिनीस्टील"  
Telegraphic Address : "MINISTEEL"



सं० \_\_\_\_\_  
No. 31016/3/2012-Ad(4)

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

इस्पात मंत्रालय

MINISTRY OF STEEL

उद्योग भवन

UDYOG BHAWAN

नई दिल्ली-110107

New Delhi-110107

दिनांक १०/०३/२०१२

सेवा में,

संचलग सूची के अनुसार

विषय:-इस्पात मंत्रालय में वर्ष 2012-13 में पेस्ट कन्ट्रोल एवं फर्श (टाईल की सफाई) के लिये मुहरबंद निविदाये मंगाने के सम्बंध में।

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी को उपरोक्त विषय पर यह कहने का निदेश हुआ है कि यदि आपकी फर्म उपरोक्त कार्य को करने की इच्छुक है तो निविदाएं दिनांक 04.2012 को सुबह 11.00 बजे तक कक्ष सं. 64, उद्योग भवन में भेजी जा सकती है। प्राप्त निविदाओं को उसी दिन सुबह 11.30 बजे आवेदक फर्मों के इच्छुक उपस्थित प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोला जाएगा। निविदा के साथ 5,000/- रुपये का बैक ड्राप्ट (वेतन एवं लेखा अधिकारी, इस्पात मंत्रालय के नाम देय होगा) बैक ड्राप्ट अवश्य सलांग करे अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

2 इस्पात मंत्रालय में सक्षम प्रधिकारी के पास बिना कारण बताए किसी भी निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

भवदीय,  
  
(सरन्द्र कुमार गुप्ता)  
अवर सचिव, भारत सरकार

(२)

सं. ३१०१६ /३/२०१२ - Ad.(6)  
Dated २१-३-२०१२

शर्तों:-

१. कीटनाशिक दवाई का छिड़काव कक्षो, गलियारो एवं इस्पात मंत्रालय द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र में कराया जायेगा।
२. अनुबंधकर्ता फर्म को कीटनाशी छिड़काव से सम्बंधित सभी मरणीने एवं सामग्री अपनी लागत पर प्रयोग करनी होगी तथा निविदा में प्रयोग की जाने वाली समस्त रासायनिक दवाओं/पदार्थों के नामों का उल्लेख करना होगा।
३. यह फर्म की जिम्मेदारी है कि वह मंत्रालय अधिग्रहित क्षेत्रों को कीट दीमक आदि से मुक्त रखे इसके लिये वह प्रशिक्षित कर्मी रखे। किसी प्रकार की परिवहन लागत को मंत्रालय द्वारा वहन नहीं किया जायेगा।
४. यदि फर्म द्वारा कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया तो किसी भी समय कार्य किसी भी अन्य फर्म द्वारा कराया जा सकता है। इसका उत्तरदायित्व अनुबंधित फर्म का होगा।
५. फर्म को जमानत के रूप में 5000 रुपये का डिमाउड ड्राफ्ट घेतन एवं लेखा कार्यालय, इस्पात मंत्रालय, नई दिल्ली के नाम जमा कराना होगा किसी भी रूप में शर्तों का उल्लंघन करने पर इसका हर्जाना फर्म भरना होगा।
६. सक्षम अधिकारी को किसी भी समय अनुबंध को बिना कारण बताये समाप्त करने सम्बन्धित समस्त अधिकार प्राप्त है।
७. सेवा कर / बिक्री कर या कोई भी अन्य कर की जानकारी अलग से देनी होगी।
८. अनुबंध की अवधि अनुबंध की अवधि ०१.४.२०१२ या अनुबंध पत्र देने की तारीख दोनों में से जो भी पहले एवं बाद में हो से ३१.०३.२०१३ तक के लिये होगी।
९. कार्य सम्पादन के बाद बिल (तीन प्रतियो में) कार्य संतोषजनक होने का प्रमाण पत्र सम्बंधित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत करना होगा इसके बाद ही मंत्रालय बिल का भुगतान करेगा।
१०. यह छिड़काव निर्देश अनुसार कार्य दिवस पर साये अथवा छुट्टीयों के दिन/शनिवार आदि को कार्यालय की सुविधा अनुसार कराया जायेगा। प्रयास होगा कि एक समय पर कम से कम एक Floor पर छिड़काव हो जाये।
११. फर्म को सुनिश्चित करना होगा कि पेस्ट कन्ट्रोल Health safty Standard के अनुरूप ही होगा।
१२. फर्म के पास इस तरह के कार्य के लिए आवश्यक प्राधिकारी का प्रमाण पत्र होना चाहिए यदि कानूनन आवश्कता हो तो।

मुरैन्द्र कुमार गुप्ता / S.K. GUPTA  
अधर सचिव/Under Secretary  
इस्पात मंत्रालय/Ministry of Steel  
भारत सरकार/Govt. of India  
नई दिल्ली/New Delhi